रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 188] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 26, 2010/श्रावण 4, 1932
No. 188] NEW DELHI, MONDAY, JULY 26, 2010/SHRAVANA 4, 1932

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2010

फा. सं. 51-1/2009/रा.अ.शि.प. (एन एंड एस).—राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 (1993 का 73) की धारा 32 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् एतद्द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानदण्ड और क्रियाविधि) विनियम, 2009 को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः :—

1. (1) ये विनियम राष्ट्रीय अध्यापक परिषद् (मान्यता, मानदण्ड और कियाविधि), दूसरा संशोधन विनियम, 2010 कहलाएगें ।

(2) ये भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे ।

2. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता, मानदण्ड और कियाविधि) विनियम, 2009 (जिसे इसमें आगे उक्त विनियम कहा जाएगा) के विनियम 5 में, –

(क) उप–विनियम (4) में शब्द और अंक "1 सितम्बर से 31 अक्तूबर" के लिए शब्द और अंक "**1 अगस्त से 30 सितम्बर**" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) उप–विनियम (5) में शब्द और अंक "15 मई" के लिए शब्द और अंक "31 जुलाई" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

3. उक्त विनियम के विनियम 7 में, –

(क) उप–विनियम (1) के मद i में शब्द "निर्धारित प्रपत्र में तीन प्रति में आवेदन" के लिए शब्द "**ऑनलाइन जमा किए गए आवेदन के प्रिन्ट आउट की तीन प्रति**" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

1251

(ख) उप–विनियम (9) के अंत में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, नामतः–

"बशर्ते कि शिक्षा में मास्टर डिग्री (एम. एड.) पाठ्यक्रम के मामले में स्टाफ या संकाय सदस्य को इस विनियम के तहत मॉग पत्र जारी करने की तिथि के बाद छह महीने की अवधि के भीतर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् मानदण्ड के अनुसार नियुक्त किया जाएगा"

4. उक्त विनियम के परिशिष्ट – 4 के, पैराग्राफ 4 में, –

(क) उप पैराग्राफ (i) के, मद (ii) में शब्द "सात" के लिए शब्द "छह" प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

(ख) उप पैराग्राफ (II) में, मद (i) के नोट में अंक और शब्द "65 वर्ष" के लिए शब्द **"सत्तर वर्ष"** प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

5. उक्त विनियम के परिशिष्ट – 5 में, –

(क) पैराग्राफ 3 के, उप पैराग्राफ 1 के, खंड (क) में, शब्द "पच्चीस छात्र" के लिए शब्द **"पैंतीस छात्र"** प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

(ख) पैराग्राफ 4 में,

(i) उप पैराग्रांफ (I) में,–

(क) मद (ii) में, शब्द "उपर्युक्त की तरह आनुपातिक रूप से" के लिए शब्द **"रीडर/एसोसिएट प्रोफेसर–1 के अनुपात में, लेक्चरर/सहायक प्रोफेसर–दो"** प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

(ख) मद (ii) के बाद निम्नलिखित जोडा जाएगा, नामतः –

"(iii) शिक्षा स्नातक और शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री प्रदान करने वाले संबद्ध या अंगीभूत कॉलेजों के मामले में प्रोफेसर के लिए निर्धारित उसी प्रात्रता तथा शर्तों के साथ एक प्रोफेसर के स्थान पर, एक प्रिंसिपल/विभागाध्यक्ष की प्रोफेसर के ग्रेड में नियुक्ति की जाएगी :

बशर्ते कि ऐसे संस्थानों में संकाय की आवश्यकता शिक्षा स्नातक (एक इकाई) और शिक्षा में मास्टर डिग्री (एक इकाई) दोनों के लिए प्रोफेसर के ग्रेड में एक प्रिंसीपल या विभागाध्यक्ष, एक रीडर या एसोसिएट प्रोफेसर और नौ लेक्चरर या सहायक प्रोफेसर होगा और विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग के मामले में, जो केवल शिक्षा में मास्टर डिग्री प्रदान करता है, अपेक्षित संकाय एक प्रोफेसर, एक रीडर या एसोसिएट प्रोफेसर और तीन लेक्चरर या सहायक प्रोफेसर होगा और शिक्षा स्नातक और शिक्षा में मास्टर डिग्री प्रदान करने वाले संस्थान के लिए दोनों पाठ्यक्रमों के लिए संयुक्त संकाय एक प्रोफेसर, एक रीडर या एसोसिएट प्रोफेसर और नौ लेक्चरर या सहायक प्रोफेसर होगा"

IndiaCode

(ग) उप पैराग्राफ (II) में, नोट में शब्द "पैंसठ वर्ष" के लिए शब्द **"सत्तर वर्ष"** प्रतिस्थापित किया जाएगा

6. उक्त विनियम के परिशिष्ट – 7 में,–

(क) पैराग्राफ 3 में,–

(प) उप–पैराग्राफ (1) में, निम्नलिखित पैराग्राफ जोडा जाएगा, नामतः –

"बशर्ते कि अपनी प्रवेश क्षमता को उन्नत करने के इच्छुक मान्यता प्राप्त संस्थान को अतिरिक्त प्रवेश क्षमता के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की संबंधित क्षेत्रीय समिति को आवेदन प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा और तत्पश्चात् क्षेत्रीय समिति इन विनियमों के तहत अनुदेशात्मक और अवसंरचनात्मक सुविधाओं के मूल्यांकन के बाद यदि शारिरिक शिक्षा स्नातक पाठ्यक्रम की मान्यता की स्थिति में कोई प्रतिबंध न हो, तो अतिरिक्त प्रवेश क्षमता की मंजूरी देगा; बशर्ते और कि 100 स्थानों की प्रवेश क्षमता को केवल उन कॉलेजों के मामले में अनुमोदित किया जाएगा जिसकी स्थापना इन विनियमों के प्रारंभ होने के बाद हुई है और जो विशेषकर शारीरिक शिक्षा के लिए अलग संस्थान का प्रस्ताव कर रहे हैं"

(ii) उप पैराग्रफ (2), के लिए निम्नलिखित उप पैराग्राफ प्रातिस्थापित किया जाएगा, नामतः –

"(2) पात्रता

पचपन प्रतिशत अंक के साथ शारीरिक शिक्षा एक मुख्य विषय के साथ स्नातक डिग्री; या

पैंतालिस प्रतिशत अंक के साथ शारीरिक शिक्षा एक वैकल्पिक विषय के साथ स्नातक डिग्री और भारतीय विश्वविद्यालय संघ या भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त खेलकूद या एथलेटिक्स में राष्ट्रीय या राज्य या अंर्तविश्वविद्यालयी प्रतिस्पर्धा में भागीदारी हो; या

पैंतालिस प्रतिशत अंक के साथ स्नातक डिग्री और खेलकूद या एथलेटिक्स में राष्ट्रीय या राज्य या अंर्तविश्वविद्यालयी प्रतिस्पर्धा में भागीदारी हो; या

प्रतिनियुक्त सेवारत अभ्यर्थियों (प्रशिक्षित शारिरिक शिक्षा शिक्षक/कोच) के लिए पैंतालिस प्रतिशत अंक के साथ स्नातक और कम से कम तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव; या

बशर्ते कि अजा या अजजा या अपिव या अन्य श्रेणियों के लिए स्थानों का आरक्षण केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के नियमों के अनुसार होगा और उन श्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों की पात्रता योग्यता के अंकों में पांच प्रतिशत की छूट की अनुमति दी जाएगी";

(ख) पैराग्राफ 4 में, उप पैराग्राफ (II) में, नोट में अंक और शब्द "65 वर्ष" के लिए शब्द **"सत्तर वर्ष"** प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

1253

7. उक्त विनियम के परिशिष्ट – 8 में,–

(क) पैराग्राफ 3 में, उप पैराग्राफ (2), में खंड (क) के लिए निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः–

"कम से कम पचपन प्रतिशत अंक के साथ शारीरिक शिक्षा स्नातक (बी.पी.एड.) या शारीरिक शिक्षा स्नातक (बी.पी.ई.) या स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा में विज्ञान स्नातक (बी. एससी.) और खेलकूद में डिग्री ।

(ख) पैराग्राफ 4 के, उप पैराग्राफ (II) के, नोट में अंक और शब्द "65 वर्ष" के लिए शब्द "**सत्तर वर्ष**" प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

8. उक्त विनियम के परिशिष्ट 10 के, पैराग्राफ 5 के, उप पैराग्राफ (2) में, खंड (क) में, उप खंड (i) के लिए निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः–

"(i) पचास प्रतिशत अंक के साथ स्नातक या स्नातकोत्तरः पचास प्रतिशत अंक की आवश्यक्ता राष्ट्रीय अध्यापक परिषद् (मान्यता, मानदण्ड और कियाविधि) द्वितीय संशोधन विनियम 2010 के लागू होने से पहले, शिक्षक के रूप में नियुक्त व्यक्तियों पर लागू नहीं होगी" ।

हसीब अहमद, सदस्य-सचिव

[विज्ञापन III/4/131/10/असा.]

टिप्पण : प्रधान विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4 में 31 अगस्त, 2009 की अधिसूचना संख्या एफ. 51-1/2009/रा.अ.शि.प. (एन एंड एस) द्वारा प्रकाशित किया गया था और बाद में इसे 30 मार्च, 2010 की अधिसूचना संख्या एफ. 48-3(1)/2008/रा.अ.शि.प. (एन एंड एस) द्वारा संशोधित किया गया था ।

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd July, 2010

F. No. 51-1/2009/NCTE (N&S).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 32 of the National Council for Teacher Education Act, 1993 (73 of 1993), the National Council for Teacher Education hereby makes the following regulations further to amend the National Council for Teacher Education (Recognition, Norms and Procedure) Regulations, 2009, namely :—

1. (1) These Regulations may be called the National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure) Second Amendment Regulations, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure) Regulations, 2009, (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 5, -

(a) in sub-regulation (4), for the words and figures "the 1st day of September till 31st day of October", the words and figures ***"the 1st day of August till 30th day of September"*** shall be substituted;

1254

(b) in sub-regulation (5), for the words and figure "the 15th day of May", the words and figure ***"the 31st day of July"*** shall be substituted.

3. In regulation 7 of the said regulations,-

(a) in sub-regulation (1), in item i, for the words "Application in triplicate on the prescribed format", the words ***"The copy of the print-out of the application submitted online in triplicate"*** shall be substituted;

(b) in sub-regulation (9), the following proviso shall be inserted at the end, namely:-

"Provided that in the case of Master of Education (M.Ed.) course the staff or the faculty may be appointed as per National Council for Teacher Education norms within a period of six months after issue of letter of intent under this sub-regulation".

4. In Appendix-4 to the said regulations, in paragraph 4,-

(a) in sub-paragraph (I), in item (ii), for the word "seven", the word ***"six"***, shall be substituted;

(b) in sub-paragraph (II), in the Note to item (i), for the figure and word "65 years", the words ***"seventy years"*** shall be substituted.

5. In Appendix-5 to the said regulations,-

(a) in paragraph 3, in sub-paragraph 1, in clause (a), for the words 'twenty five students', the words '***thirty five students'*** shall be substituted.

(b) in paragraph 4,

(i) in sub-paragraph (I), -

(A) In item (ii), for the words "proportionately as above", the words ***"in the proportion of Reader / Associate Professor – one, Lecturers/ Assistant Professors – two"*** shall be substituted;

(B) after item (ii), the following item shall be inserted, namely:-

"(iii) ***In case of affiliated or constituent colleges, offering Bachelor of Education and Master of Education Programmes, in place of a Professor, one Principal / Head of the Department, with same eligibility conditions as specified for a Professor, shall be appointed in the Professor's Grade:***

Provided that the requirement of faculty in such institutions shall be, one Principal or Head of Departments in Professor's grade, one Reader or Associate Professor and nine Lecturers or Assistant Professors, both for Bachelor of Education (one unit) and Master of Education (one unit) and in case of University Department of Education, those offering only Master of Education, the required faculty would be one Professor, One Reader or Associate Professor and three lecturers or Assistant Lecturers and for those offering Bachelor of Education and Master of Education the combined faculty for both courses together would be, one Professor, one Reader or Associate Professor and nine Lecturers or Assistant Professors";

2909GI/10–2

1255

IndiaCode

(c) in sub-paragraph(II), in the Note, for the words "sixty-five years", the words ***"seventy years"*** shall be substituted.

In Appendix-7 to the said regulations,-

(a) in paragraph 3, -

(i) sub-paragraph (1), the following paragraph shall be inserted, namely:-

"Provided that the *recognized institutions willing to upgrade their intake, shall be required to submit an application to the concerned Regional Committee of National Council for Teacher Education for the additional intake, and thereafter, the Regional Committee after assessing the instructional and infrastructural facilities under these Regulations if there is no restriction in the State of recognition of Bachelor of Physical Education Course sanction the additional intake; provided further that the intake capacity of 100 seats shall be approved only in those colleges which are established after the commencement of these Regulations and proposing a separate institution exclusively for physical education".*

(ii) for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

"(2) Eligibility

Bachelor's Degree with Physical Education as an elective subject with fifty per cent marks; or

Bachelor's Degree with Physical Education as an elective subject with forty-five per cent marks and participation in National or State or Inter-University competitions in sports or games or athletics recognized by Association of Indian Universities or Indian Olympic Association; or

Bachelor's Degree with forty-five per cent marks and having participated in National or State or Inter-University Sports or games or athletics; or

For deputed in-service candidates (i.e. trained physical education teachers / coaches) Graduation with forty-five per cent marks and at least three years of teaching experience; or

Provided that the reservation of seats for SC or ST or OBC and other categories shall be as in accordance with the Central Government of State Government rules and a relaxation of five per cent in marks in eligibility qualification shall be allowed to candidates belonging to those categories";

(b) in paragraph 4, in sub-paragraph (II), in the Note, for the figure and word "65 years", the words ***"seventy years"*** shall be substituted.

In Appendix-8 to the said regulations,-

(a) in paragraph 3, in sub-paragraph (2), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

"Bachelor of Physical Education (B.P.Ed.) or Bachelor of Physical Education (BPE) or Bachelor of Science (B.Sc.) in Health and Physical Education and Degree in sports with at least fifty-five per cent marks.

1256

(b) in paragraph 4, in sub-paragraph (II), in the Note, for the figure and word "65 years", the words ***"seventy years"*** shall be substituted.

8. In Appendix-10 to the said regulations, in paragraph 5, in sub-paragraph (2), in clause (a), for sub-clause (i), the following clause shall be substituted, namely:-

"(i) Graduation or Post-Graduation Degree with fifty per cent marks: Provided that the requirement of fifty per cent marks shall not apply to persons appointed as teachers prior to the commencement of the National Council for Teacher Education (Regulations Norms and Procedure) Second Amendment Regulations, 2010."

HASIB AHMAD, Member-Secy.

[ADVT III/4/131/10-Exty.]

Note : The principal Regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, *vide* notification number F. 51-1/2009/NCTE (N&S), dated the 31st August, 2009 and subsequently amended *vide* notification number F. 48-3(1)/2008/NCTE (N&S) dated the 30th March, 2010.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

1257